

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-1, हिलसा (नालन्दा)

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-1,
अनुमण्डल न्यायालय, हिलसा (नालन्दा)

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं-29/2025

अनूप सिन्हा बल्द विनोद कुमार सिन्हा
साकिन-अम्बेर पंच अंगनवा, शिव मंदिर, बिहार शरीफ, नालन्दा
..... आवेदक
बनाम्

1. बिहार राज्य
2. खुशबू कुमारी ^{पति} अजीत कुमार सिन्हा
साकिन-ओरियावां, थाना-एकंगरसराय, नालन्दा विपक्षीगण

पुनरीक्षणकर्ता की तरफ से विद्वान अधिवक्ता - श्री भरत प्रसाद सिंह
राज्य की तरफ से विद्वान अपर लोक अभियोजक-श्री राजाराम सिंह
विपक्षी खुशबू कुमारी के विद्वान अधिवक्ता -श्री सतीश कुमार



निर्णय पारित करने की तिथि-दिनांक 19 जून 2026 ई

उपस्थित- आलोक कुमार पाण्डेय-।
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
अनुमण्डल न्यायालय, हिलसा, नालन्दा

निर्णय

1. पुनरीक्षणकर्ता अनूप सिन्हा द्वारा यह आपराधिक पुनरीक्षण वाद एकंगरसराय थाना काण्ड सं-148/2021 (जी.आर. नं-1327/2021) में विद्वान अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, हिलसा द्वारा दिनांक 28.01.2025 को पारित आदेश से विक्षुब्ध एवं असंतुष्ट होकर दाखिल किया गया है। एकंगरसराय थाना काण्ड सं-148/2021 से संबंधित मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विद्वान अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, हिलसा द्वारा इस वाद में दिनांक 28.01.2025 को आदेश पारित करते हुए पुनरीक्षणकर्ता का बन्धपत्र खण्डित कर दिया गया है।

2. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने आवेदन में निवेदन किया गया है कि विद्वान अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, हिलसा द्वारा दिनांक 28.01.2025 को पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन को अस्वीकार कर जमानत बन्धपत्र खण्डित कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध इसके पूर्व श्रीमान् के न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कोई पुनरीक्षण याचिका दायर नहीं की गई है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि विद्वान ^{अनुमण्डल} न्यायिक दण्डाधिकारी, हिलसा द्वारा दिनांक 28.01.2025 को पारित आदेश गलत और अनुमान तथा अटकलों पर आधारित है। आदेश पारित करते समय विद्वान अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, हिलसा द्वारा न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया गया तथा यांत्रिक ढंग से आदेश पारित किया गया, जिसे रद्द किया जाना न्यायोचित है। विद्वान अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, हिलसा द्वारा आदेश पारित करने से पहले इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि आदेश में कारण बताया जाना चाहिए

इसलिए विद्वान अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी का आदेश दिनांक 28.01.2025 कानून की दृष्टि से वैध नहीं है और इसे रद्द किया जाना उचित है।

3. सुनवाई के क्रम में पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दाखिल आवेदन में वर्णित कथनों को आधार बनाकर सुनवाई की गई है एवं विपक्षी सं०-1 और 2 ने सुनवाई के क्रम में यह निवेदन किया गया है कि विद्वान अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, हिलसा द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 28.01.2025 पूर्णतः विधिसंगत, शुद्ध एवं औचित्यपूर्ण है एवं धारा-317 द.प्र.सं. का प्रावधान न्यायालय के स्वविवेक पर आधारित है एवं धारा-317 द.प्र.सं. के तहत दिया गया आवेदन अभियुक्त का पूर्ण अधिकार नहीं है। इन कथनों के आधार पर विपक्षीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता की तरफ से दाखिल यह पुनरीक्षण आवेदन विधितः एवं तथ्यतः पोषणीय नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाय।

4. पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा दाखिल आवेदन एवं इस आवेदन पर उभय पक्षों द्वारा किये गये कथनों एवं मूल अभिलेख के अवलोकन के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस पुनरीक्षण वाद में इस न्यायालय को मुख्यतः इस बिन्दु पर मन्तव्य देना है कि क्या विद्वान अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, हिलसा द्वारा एकंगरसराय थाना काण्ड सं-148/2021 से संबंधित अभिलेख में दिनांक 28.01.2025 को पारित आदेश विधिसंगत, शुद्ध एवं औचित्यपूर्ण है या नहीं ?

मन्तव्य

5. मूल अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सूचिका खुशबू कुमारी सिन्हा द्वारा थाना प्रभारी एकंगरसराय के समक्ष प्रस्तुत लिखित आवेदन के आधार पर यह घटना एकंगरसराय थाना काण्ड सं-148/2021 (अन्तर्गत धारा-341,323,379,498ए.,504,506/34 भा०द०वि० एवं धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम) के रूप में दर्ज की गई थी एवं इसमें कुल पांच व्यक्तियों को नामित अभियुक्त बनाया गया था। अनुसंधानकर्ता द्वारा घटना का अनुसंधान कर घटना को धारा-341,323,379,498ए.,504,506/34 भा०द०वि० एवं धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत सत्य पाते हुए अभियुक्तगण क्रमशः अनूप सिन्हा, किरण सिन्हा एवं विनोद कुमार सिन्हा के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोपपत्र समर्पित किया गया था एवं अभियुक्त दिप्ती सिन्हा, सिम्मी सिन्हा एवं अरुण कुमार को अनुत्प्रेषित दर्शाते हुए आरोपपत्र समर्पित किया गया था। आरोपपत्र, वाद दैनिकी के अवलोकन के पश्चात् विद्वान अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, हिलसा द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा-341,323,379,498ए.,504,506/34 भा०द०वि० एवं धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संज्ञान लेते हुए अनूप सिन्हा, किरण सिन्हा एवं विनोद सिन्हा को विचारण हेतु आहूत किया गया था एवं न्यायालय द्वारा दिप्ती सिन्हा, सिम्मी सिन्हा एवं अरुण कुमार उर्फ बंटी के विरुद्ध वाद की कार्यवाही समाप्त करने का आदेश दिया गया था। तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कि.मिस० नं-2693/2022 में दिनांक 14.06.2022 को पारित आदेश के माध्यम से अभियुक्त विनोद कुमार सिन्हा एवं किरण सिन्हा को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की गई थी। तत्पश्चात् अभियुक्त अनूप सिन्हा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु कि० मिस० नं-3017/2022 दाखिल किया गया था, जिसमें सुनवाई के क्रम में उनके द्वारा निवेदन किया गया था कि वे हर माह सूचिका को 5000/-रु० देंगे, जो उसके खाता में डाला जायेगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इनके विद्वान अधिवक्ता के कथनों को सुनने के पश्चात् दिनांक 02.08.2022 को आदेश पारित करते हुए इन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की गई एवं इन्हें निर्देश दिया गया कि ये 5000/-रु० जमा कर बन्धपत्र दाखिल करते समय रसीद न्यायालय में दाखिल करें। तत्पश्चात् दिनांक 06.09.2022 को सूचिका की तरफ से बैंक खाता की छाया प्रति दाखिल करते हुए न्यायालय में एक आवेदन इस आशय का दिया गया कि अभियुक्त को निर्देशित किया जाय कि वे इस खाते में 5000/-रु० हर माह जमा करें। इसी आशय का आवेदन सूचिका द्वारा दिनांक 03.02.2023 को भी दाखिल किया गया एवं दिनांक 03.04.2024

को सूचिका द्वारा एक आवेदन इस आशय का दाखिल किया गया कि अभियुक्त का बन्धपत्र खण्डित किया जाय। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि न्यायालय द्वारा इस वाद के तीनों अभियुक्तों को सदेह उपस्थित रहने हेतु कई बार आदेश किया गया, किन्तु इसके पश्चात् भी अभियुक्तों द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2025 को इस वाद के तीनों अभियुक्तों का बन्धपत्र खण्डित कर दिया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय द्वारा बार-बार अभियुक्तों को सदेह उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया, किन्तु उन्होंने न्यायालय के इस आदेश का पालन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त विधि का यह स्थापित नियम है कि धारा-317 द.प्र.सं. के प्रावधान का लाभ दिया जाना न्यायालय का स्वविवेकाधिकार है एवं अभियुक्तगण इस प्रावधान का लाभ प्राप्त करने का दावा पूर्ण अधिकार के रूप में नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में विद्वान अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, हिलसा द्वारा दिनांक 28.01.2025 को पारित आदेश पूर्णतः विधिसंगत, शुद्ध एवं औचित्यपूर्ण है एवं इसमें हस्तक्षेप का कोई कानूनसंगत औचित्य नहीं है।
अतएव:

A

आदेश

पुनरीक्षणकर्ता की तरफ से दाखिल यह पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाता है।

दिनांक-19.06.2026

स्थान- हिलसा, नालन्दा

(लेखापित)

Aandey
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- I,
अनुमण्डल न्यायालय, हिलसा (नालन्दा)

मेरे द्वारा संशोधित, हस्ताक्षरित प्रश्नगत यह निर्णय आज उभय पक्षों की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक- 19.06.2026

स्थान- हिलसा, नालन्दा

Aandey
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- I,
अनुमण्डल न्यायालय, हिलसा (नालन्दा)

Crim.Revision- 29/2025

Uploading date	23.06.2028
Uploaded by	ADAR KUMAR (D.E.O.)